न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पामगढ़
जिला–जांजगीर–चाम्पा (छ.ग.)

दां.प्र.क्र.–1154/2026
धारा–296, 115(2), 3(5) भा.न्या.सं. 2023
शासन विरूद्ध श्यामजी सिन्हा व 2 अन्य

पुनश्चः

इसी स्तर पर प्रकरण में प्रार्थी हितेश बंजारे ने उपस्थित होकर बताया है कि अभियुक्तगण उसके पड़ोस के गांव के हैं तथा उनके बीच न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है। इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी प्रियेश बर्मन तथा अनुपस्थित आरोपी श्यामजी सिन्हा एवं रवि निर्मलकर से राजीनामा करना चाहता है।

प्रकरण में प्रार्थी हितेश बंजारे तथा अभियुक्तगण श्यामजी सिन्हा एवं रवि निर्मलकर उर्फ बिल्लू एवं प्रियेश बर्मन की ओर से संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पेश कर **प्रकरण आज ही निराकृत किये जाने का निवेदन किया गया।**

प्रकरण में प्रार्थी हितेश बंजारे ने अभियुक्तगण श्यामजी सिन्हा एवं रवि निर्मलकर उर्फ बिल्लू एवं प्रियेश बर्मन के साथ स्वेच्छया बिना किसी डर, दबाव व लालच के राजीनामा करना व्यक्त किया है। तत्संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया गया। प्रार्थी हितेश बंजारे की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र खरे द्वारा की गयी। प्रार्थी हितेश बंजारे के पुलिस कथन में चस्पित फोटो से उसका मिलान किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी हितेश बंजारे ने उपस्थित होकर अभियुक्तगण श्यामजी सिन्हा एवं रवि निर्मलकर उर्फ बिल्लू एवं प्रियेश बर्मन से राजीनामा होना व्यक्त किया है, जो राजीनामा करने हेतु सक्षम व्यक्ति है। प्रकरण में अभियुक्तगण श्यामजी सिन्हा एवं रवि निर्मलकर उर्फ बिल्लू एवं प्रियेश बर्मन के विरूद्ध धारा 296, 115(2) सहपठित धारा 3(5) बी.एन.एस. 2023 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 115(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत राजीनामा योग्य है परंतु धारा 296 बी.एन.एस. 2023 के अंतर्गत राजीनामा योग्य नहीं है। बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 531 (2 बी) के अंतर्गत दं.प्र.सं. के अधिन पूर्व में प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं इस संहिता के प्रतिस्थानीय तत्स्थानीय उपबंधो के अधीन समझी जायेगी। दं.प्र.सं. के अंतर्गत छ.ग. शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से 294 भा.दं.वि. को राजीनामा योग्य माना गया है एवं विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिनांक 16.07.2024 को जारी अधिसूचना क्र.2654

में उपबंधित किया गया है कि दं.प्र.सं. या भा.दं.सं. में किन्हीं उपबंधो का कोई निर्देश तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य द्वारा जारी अध्यादेश एवं किसी अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम व अधिसूचना वहां ऐसा निर्देश भा.न्या.सं. 2023 एवं भा.ना.सु.सं. 2023 के निर्देश के रूप में पढ़ा जावेगा। धारा 531 बी.एन.एस.एस. 2023 एवं उक्त अधिसूचना के अंतर्गत भा.दं.सं. 1860 की धारा 294 जो कि बी.एन.एस. 2023 की धारा 296 में परिवर्तित की गयी है, को राजीनामा योग्य मानते हुए प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छया बिना किसी डर, दबाव व लालच के राजीनामा किए जाने से, उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। **अभियुक्तगण श्यामजी सिन्हा एवं रवि निर्मलकर उर्फ बिल्लू एवं प्रियेश बर्मन** को **दोषमुक्त** किया जाता है ।

प्रकरण में वीसी के माध्यम से जिला–जेल जांजगीर में निरूद्ध आरोपीगण श्यामजी सिन्हा एवं रवि निर्मलकर को राजीनामा के आधार पर यह प्रकरण समाप्त होने की सूचना दी गयी ।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण में जप्तशुदा दो नग बेल्ट मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट किया जावे।

प्रकरण व्यवस्थित कर विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/-
(श्रीमती शीलू केसरी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़
जिला–जांजगीर–चांपा(छ.ग.)